राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 60 / 2023

अपीलांट– **बनाम** **रेस्पोडेंट्स –**

1. राणाराम पुत्र सवाराम जाति भील निवासी मंडापुरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

1 कमलादेवी पत्नी जैसलराम
2 गुडकी पुत्री देवाराम
3 ठाकराराम पुत्र देवाराम
4 तीजोदेवी पत्नी देवाराम
5 नारायणी पुत्री देवाराम
6 पूजा पुत्री जैसलराम
7 बाया पुत्री जैसलराम
8 भटाराम पुत्र देवाराम
9 भंवरी पुत्री देवाराम
10 मेलाराम पुत्र जैसलराम
11 मादाराम पुत्र देवाराम
12 रेखा पुत्री देवाराम
13 शांति पुत्री देवाराम
14 सेवाराम पुत्र जैसलराम
15 सायरकी पुत्री देवाराम जातियान भील, निवासीयान मंडापुरा तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण **सं. 3233 जो स्वीकृत दिनांक 19.05.2023 को तहसीलदार पचपदरा द्वारा स्वीकृत किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री उम्मेदसिंह चम्पावत, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 ता 15 की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बालोतरा

निर्णय

दिनांक : 25.09.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत सरहद मौजा मंडापुरा, तहसील पचपदरा के खसरा नंबर 2588/67 व 2589/67 नामान्तरकरण संख्या 3233 दिनांक 19.05.2023 पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित स्वीकृति आदेश के विरूद्ध दिनांक 17.07.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा मंडापुरा, तहसील पचपदरा खेत के खसरा खसरा नंबर 2588/67 14.6319 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम व 2589/67 रकबा 0.1391 हैक्टेयर कु क्षेत्रफल 14.7710 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि स्व. सवाराम की खरीदसुदा है, जो जरिये रजिस्टर्ड वीसयत के अपीलांट के नाम वसीयत उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा में पंजिबद्ध है। उक्त खसरान भूमि सरहद मौजा मंडापुरा, तहसील पचपदरा का दिनांक 05.05.2023 को हल्का पटवारी मंडापुरा द्वारा खातेदार ठाकराराम पुत्र देवाराम के फौत होने पर नामान्तरणकरण खोला गया व तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 19.05.2023 को स्वीकृत कर किया गया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित स्वीकृति आदेश 19.05.2023 के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया कि मौजा मंडापुरा के खसरा नंबर 2588/67 व 2589/67 स्व. सवाराम भील की पुस्तैनी भूमि थी। सवाराम द्वारा कभी भी अपीलांट राणाराम के हक में रजिस्टर्ड वसीयत नहीं करवायी गयी। सवाराम के सभी वारिसान का फौतगी नामान्तरकरण उनके फौत होने के बाद विधिवत रूप से भरा गया। स्व. सवाराम के फौतगी पर अपीलांट का नाम नामान्तरकरण में नहीं भरने के कारण अपीलांट द्वारा राजस्व वाद श्रीमान सहायक जिलाधीश बालोतरा में पेश किया गया, जो विचाराधीन है। जब तक सवाराम का फौतगी नामान्तरकरण के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं होता, तब तक देवाराम के वारिसारन के नाम भरे गये फौतगी

जिला कलेक्टर
बालोतरा

नामन्तरण को चुनौती दिया जाना किसी भी रूप से संभव नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं सारहीन होने के कारण खारीज योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि सरहद मौजा मंडापुरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा खसरा नंबर 2588/67 व 2589/67 भूमि अवस्थित है। उक्त खसरे की भूमि स्व. सवाराम पुत्र जोगाराम की खरीदसुदा भूमि थी। उक्त भूमि सवाराम ने अपीलांट के नाम वसीयत दिनांक 23.12.1988 को उप पंजीयक कार्यलय पचपदरा में कर दिया। उक्त खसरान की भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त रहा है। स्व. सवाराम की फौतगी के बाद सहवन से फौतगी नामान्तकरण सवाराम के सभी पुत्रान दुर्गाराम, देवाराम, राणाराम व पुत्रिया पानकी, पुष्पा के नाम से दर्ज हो गया। फौतगी नामान्तरकरण में सभी के नाम दर्ज हो जाने से एवं खातेदारी अंकन हो जाने से इस बाबत अपीलांट राणाराम द्वारा खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु सहायक जिलाधीश न्यायालय बालोतरा में विचाराधीन है। अपीलांट व स्व. सवाराम के अन्य वारिसान ने एक लिखत इकरारनामा भी लिखा कि उक्त वसीयत वाली भूमि केवल अपीलांट की है। राजस्व वाद संख्या 91/99 अनवान मोरकी बनाम देवाराम वगैरा में जबाव दावा में वर्णित खसरान की भूमि हमारे पिता स्वर्गीय सवाराम के रजिस्टर्डसुदा भूमि है जो वसीयत के जरिये अपीलांट राणाराम के पक्ष में होना बताया गया। आपीलांट का वाद विचाराधीन के दौरान देवाराम के वारिसान के विरूद्ध वाद विचाराधीन होने के बावजुद भी अपीलांट के बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्व. देवाराम के वारिसान का नामान्तकरण का एवं स्व. जैसलराम पुत्र देवाराम के वारिसान का नामान्तकरण पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस प्रकार उक्त म्युटेशन को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वादगस्त जमीनों भाव बढ जाने से रेस्पोडेंटगण की नियत में खोट आ जाने से अपीलांट की जमीन हड़पने की गरज से रस्पोडेंटगण ने अपने नाम से गलत नामान्तकरण करवाया है। उक्त खसरान के अन्य सह खतेदारान की जांच कर नोटिस देकर नामान्तकरण पारित करना था लेकिन रंस्पोडेंट संख्या 16 द्वारा ऐसा नहीं कर कानूनी व न्याय करने में भारी भूल की है। रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 15 के नाम चुपके चुपके नामान्तकरण प्रविष्टि हो जाने से अब उनकी नियत मुझ अपीलांट के की भूमि हस्तातंरण करेने की है। हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक से मिलकर गलत तरीके से नामान्तकरण प्रविष्टि की

जिला कलक्टर
बालोतरा

गयी है जिसे खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे भी उक्त नामान्तरकरण अपील स्वीकार योग्य है।

7. रेस्पोडेंटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि सरहद मौजा मंडापुरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा खसरा नंबर 2588/67 व 2589/67 भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान भूमि स्व. सवाराम भील की पुस्तैनी भूमि थी, न की खरीदसुदा भूमि थी। सवाराम द्वारा कभी भी अपीलांट राणाराम के हक में रजिस्टर्ड वसीयत नहीं करवायी गयी। अपीलांट द्वारा फर्जी, जाली एवं कपटपूर्ण दस्तावेज तैयार कर एवं काल्पनिक व्यक्ति को सवाराम की ओर से खड़ा कर अपीलांट राणाराम के नाम उक्त खसरान भूमि वसीयत करवाई गई है। अपीलांट द्वारा देवाराम के नाम जो भूमी हुई है, उस नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है। सवाराम के सभी वारिसान का फौतगी नामान्तरकरण उनके फौत होने के बाद विधिवत रूप से भरा गया। स्व. सवाराम के फौतगी पर अपीलांट का नाम नामान्तरकरण में नहीं भरने के कारण अपीलांट द्वारा राजस्व वाद श्रीमान सहायक जिलाधीश बालोतरा में पेश किया गया, जो विचाराधीन है। अपीलांट राणाराम के नाम से स्वर्गीय सवाराम के द्वारा वसीयत किया जाना अंकित किया है, उक्त वसीयत के आधार पर राणाराम के हक में खातेदारी अभिलेख बाबत घोषणा का वादपत्र अन्य न्यायालय में लम्बित है। उक्त वादपत्र में ही सम्पूर्ण हक व अधिकार पक्षकारान के मध्य तय किया जाना संभव है, जब तक सवाराम का फौतगी नामान्तरकरण के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं होता, तब तक देवाराम के वारिसारन के नाम भरे गये फौतगी नामन्तरण को चुनौती दिया जाना किसी भी रूप से संभव नहीं है। वसीयत का निर्णय इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं सारहीन होने के कारण खारीज योग्य है।

8. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि वर्तमान प्रकरण में विवादित म्युटेशन संख्या 3233 दिनांक 19.05.2023 जो खेत खसरा नंबर 2588/67 व 2589/67 भूमि सरहद मौजा मंडापुरा, तहसील पचपदरा का खातेदार ठाकराराम पुत्र देवाराम के फौत होने पर देवाराम के वारिसान के नाम दर्ज कर दिनांक 05.05.2023 को हल्का पटवारी मंडापुरा द्वारा नामान्तरणकरण खोलना बताया, जिसे अधीनस्थ तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 19.05.2023 को स्वीकृत करना बताया है। अधिवक्ता अपीलांट

जिला कलक्टर
बालोतरा

ने कथन किया कि उक्त खसरे की भूमि स्व. सवाराम पुत्र जोगाराम की खरीदसुदा भूमि थी। उक्त भूमि सवाराम ने अपीलांट के नाम वसीयत दिनांक 23.12.1988 को उप पंजीयक कार्यालय पचपदरा में होना बताया गया। साथ ही राजस्व वाद संख्या 91/99 अनवान मोरकी बनाम देवाराम वगैरा में जबाव दावा में गैर निगरानीकर्ता एवं उनके पूर्वजों द्वारा स्वीकार किया कि आलोच्य खसरान की भूमि स्वर्गीय सवाराम की खरीदशुदा है, जो वसीयत के जरिये अपीलांट राणाराम के पक्ष में होना बताया गया। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि खरीदसुदा बाबत् कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। भूमि का मालीकाना हक की सत्यता एवं संबंधित घोषणा का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार में विचाराधीन है। उक्त आदेश से विभिन्न पक्षकार के हक अधिकार प्रभावित होने है। वर्तमान नामांतरण से विभिन्न नवीन व्यक्तियो के खातेदारी अधिकार पैदा हुए है, जिसके आगे बेचान/वसीयतनामे इत्यादि से मुकदमें में पेचिदगिया एवं मुकदमेबाजी के बढने की संभावना है। इस प्रकार न्यायहित में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के द्वारा घोषणा के दावे के अंतिम निस्तारण होने तक उक्त आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 3233 दिनांक 19.05.2023 को खरीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3233 दिनांक 19.05.2023 को अपास्त किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा